Request-79
11918

IV/3610
45

Binod
7.8.18

11.7.17

12-7-17

8.6.17

15-6-17
Encl-@page

प्रेषक,

उपेन्द्र कुमार
जनपद न्यायाधीश,
झांसी।

सेवा में,

श्री रमेश कुमार (मालवीय)
उपनिबन्धक (एम0),
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

पत्रांक – 1915 / XV झांसी, दिनांक – जून 08, 2017

सन्दर्भ–माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्रांक–431 / चतुर्थ–3610 / प्रशा0–ए इलाहाबाद दिनांक 10.01.2017

107 विषयः **श्री नरेन्द्र पाल राणा, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या–02, जनपद न्यायालय, झांसी द्वारा जनपद न्यायालय, लखनऊ से जनपद न्यायालय, झांसी में स्थानान्तरण के फलस्वरूप एकमुश्त स्थानान्तरण यात्रा भत्ता स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में कृपया उक्त सन्दर्भित पत्र दिनांकित 10.01.2017 का संज्ञान लेने का कष्ट करे, जिसके माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा इस बिन्दु पर आख्या चाही गई है कि इस न्यायिक अधिष्ठान में कार्यरत पति–पत्नी न्यायिक अधिकारी श्री नरेन्द्र पाल राणा, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झांसी एवं श्रीमती मनीषा, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झांसी द्वारा एक साथ एक ही जनपद में हुये स्थानान्तरण के सापेक्ष स्थानान्तरण यात्रा भत्ता के रूप में दोनो न्यायिक अधिकारीगणों द्वारा अलग–अलग कितनी बार भुगतान प्राप्त किया गया है। उक्त के अनुपालन में सम्बन्धित न्यायिक अधिकारीगणों से उक्तानुसार अपेक्षित विवरण उपलब्ध कराने हेतु आदेश निर्गत किये गये है।

सम्बन्धित न्यायिक अधिकारीगण द्वारा प्रस्तुत पत्र के माध्यम से सूचित किया गया है कि दोनो पति–पत्नी न्यायिक अधिकारीगण द्वारा इससे पूर्व हुये स्थानान्तरण (नगीना से लखनऊ) के दौरान श्रीमती मनीषा, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा स्थानान्तरण यात्रा भत्ता प्राप्त किया था एवं उनके पति श्री नरेन्द्र पाल राणा, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झांसी द्वारा एकमुश्त स्थानान्तरण अनुदान रूपये 27,700/– का भुगतान प्राप्त किया गया है। सम्बन्धित न्यायिक अधिकारीगण द्वारा प्रस्तुत पत्र/विवरण की छायाप्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर माननीय न्यायालय की सेवा में सादर प्रेषित की जा रही है।

अतः उक्त सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में वांछित आख्या, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष सादर प्रेषित है।

DR (RR) Admin
S.O. Admin H/A
Rkd
15/6/2017
DR

सम्मान् सहित !

A.R. (Admin H)
16/6/17
D.R. (Admin H)

Ms. Banti
08.08.18

भवदीय,

(उपेन्द्र कुमार)
जनपद न्यायाधीश,
झांसी। 8-6-17
जिला जज
झाँसी (उ0प्र0)

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार ।

1074

DR (PS)

This serial alongwith its encls. is only for information. May file it.

Sd/-
14/08/18 R.O.

Sd/-
16.08.18
A.R

Yes
RPG
16/8/2018
DR

Request-79

प्रेषक,

नरेन्द्र पाल राणा,
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
झांसी।

सेवा में,

माननीय जनपद न्यायाधीश,
झांसी।

विषय– माननीय महोदय के आदेश दिनांक १८.०१.१७ के द्वारा मेरे व मेरी पत्नी श्रीमती मनीषा द्वारा प्राप्त किये स्थानान्त्रण भत्ते के संबंध में अनुपालन आख्या।

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि न्यायिक सेवा में मेरे द्वारा सर्वप्रथम कार्यभार माह मई २००९ में अलीगढ़ में ग्रहण किया गया था जिसका कोई स्थानान्त्रण भत्ता मेरे द्वारा प्राप्त नहीं किया गया था। उस समय मेरी पत्नी मेरे साथ अलीगढ़ में तैनात नहीं थी। मेरी पत्नी श्रीमती मनीषा का वार्षिक स्थानान्तरण जून २००९ में मेरठ से महोबा के लिये हुआ था। तदुपरान्त हम दोनों द्वारा एक साथ पोस्टिंग किये जाने हेतु माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रत्यावेदन किया गया। जून २०१० में हम दोनों का स्थानान्तरण नगीना बिजनौर के लिये हुआ। चूंकि यह स्थानान्त्रण प्रत्यावेदन के आधार पर हुआ था। अतः स्थानान्तरण पर सरकारी सेवक को देय किसी भी भत्ते का कोई आवेदन नहीं किया गया न ही प्राप्त किया गया। अप्रैल २०१२ में मेरा व मेरी पत्नी श्रीमती मनीषा का माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार जनपद लखनऊ के लिये माह हुआ। इस स्थानांतरण के उपरांत मेरे द्वारा सरकारी सेवक को देय स्थानान्त्रण भत्ते यथा **स्थानान्त्रण यात्रा भत्ता, घरेलू सामान की ढुलाई भत्ता, वाहन परिवहन भत्ता, दैनिक भत्ता, सड़क मील भत्ता** के लिये कोई आवेदन नहीं किया न ही प्राप्त किया है। आज तक अब तक हुए स्थानान्त्रण में कभी भी इन भत्तों का भुगतान प्राप्त नहीं किया है तथा सिर्फ मेरी पत्नी मनीषा द्वारा नियमानुसार स्थानांतरण भत्ते हेतु आवेदन करते हुए प्राप्त किया था।

इस स्थानान्त्रण के उपरांत मेरे द्वारा मात्र डिस्ट्रबेन्स अलाउंस **नियमानुसार** दिलाये जाने हेतु आवेदन किया गया था। यह आवेदन प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग वेतन आयोग (शेट्टी कमीशन) की अनुशंशा एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या १०२२/१९८९ आल इन्डिया जजेज एसोसिएशन तथा अन्य बनाम यूनियन ऑफ इन्डिया तथा अन्य में पारित आदेश दिनांक २१.०३.२००२ व ०६.१२.२००५ के अनुपालन में पारित शासनादेश सं. ६०५८/दो-४-५-४५(१२)/९१ टी.सी. नियुक्ति अनुभाग-४ दिनांक २७ जनवरी २००६ के अनुरूप किया गया था। इस शासनादेश के उपरांत रिट याचिका सं १०२२/१९८९ आल इन्डिया जजेज एसोसिएशन तथा अन्य बनाम यूनियन ऑफ इन्डिया तथा अन्य में सम्बद्ध आई.ए.सं. २४४/०९ में १९.०७.२०१० को पारित आदेश के अनुपालन में पदमनाभन समिति गठित की गयी थी। पदमनाभन समिति की अनुशंशा के अनुरूप पत्र सं. २१२३(२)/दो-४-२०१०-४५(१२)/९१ टी.सी. नियुक्ति अनुभाग-४ दिनांक १६ अक्टूबर २०१० शासन द्वारा जारी किया गया और इस सुविधा को जारी रखा गया है। डिस्ट्रबेन्स अलाउंस दिये जाने की सुविधा प्रत्येक न्यायिक अधिकारी को दिये जाने का प्रावधान इन शासनादेश में किया गया है। इन दोनों शासनादेश में कही पर भी यह उल्लिखित नहीं है कि पति पत्नी दोनों के न्यायिक अधिकारी होने पर एक को ही डिस्ट्रबेन्स अलाउंस का भुगतान किया जावेगा, चूंकि न्यायिक अधिकारी होने के कारण स्थानान्त्रण के फलस्वरूप इसी कारण मेरे द्वारा आवेदन किया गया था तथा मुझे इन शासनादेश के अनुरूप सिविल जज जू.डि. के पद के मात्र एक माह एक माह के मूल वेतन के बराबर धनराशि रुपये २७,७००/- सिर्फ एक बार डिस्ट्रबेन्स अलाउंस भुगतान प्रदान किया गया है।

यदि इस संबंध में मेरे स्तर से कोई त्रुटि हुई है, तो प्रार्थी क्षमा प्रार्थी है।

सादर।

(नरेन्द्र पाल राणा)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
न्यायालय संख्या-२, झांसी।

Request-79

प्रेषक,

मनीषा,
अपर जिला जज, कक्ष स–३,
झांसी

सेवा मे,

माननीय जनपद न्यायाधीश,
झांसी।

विषय – माननीय महोदय के आदेश दिनांक १८.०१.१७ के द्वारा मेरे व मेरे पति नरेन्द्र पाल राणा द्वारा प्राप्त किये स्थानान्त्रण भत्ते के संबंध मे अनुपालन आख्या।

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि न्यायिक सेवा मे मेरे पति श्री नरेन्द्र पाल राणा द्वारा कार्यभार सर्वप्रथम मई २००९ मे अलीगढ मे ग्रहण किया था। उस समय मेरी तैनाती मेरठ मे थी। जून २००९ मे मेरा वार्षिक स्थानान्त्रण मेरठ से महोबा के लिये हुआ था। हम दोनो पति पत्नी ने एक साथ स्थानान्त्रण के लिये माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रत्यावेदन किया गया। जून २०१० मे हम दोनो पति पत्नी का स्थानान्त्रण एक साथ नगीना बिजनोर के लिये हुआ। चूकिं यह स्थानान्त्रण प्रत्यावेदन के आधार पर हुआ था। अत: सरकारी सेवक को देय किसी भी स्थानांतरण भत्ते हेतु कोई आवेदन नही किया गया न ही प्राप्त किया गया। अप्रैल २०१२ मे वार्षिक स्थानान्त्रण मेरा व मेरे पति श्री नरेन्द्र पाल राणा का माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार जनपद लखनऊ के लिये हुआ। इस स्थानान्त्रण के उपरांत मेरे पति द्वारा स्थानान्त्रण पर सरकारी सेवक को देय स्थानान्त्रण भत्ते यथा **स्थानान्त्रण यात्रा भत्ता, घरेलू सामान् की ढुलाई भत्ता, वाहन परिवहन भत्ता, दैनिक भत्ता, सडक मील भत्ता** के लिये कोई आवेदन नही किया न ही प्राप्त किया है। आज तक अब तक हुए स्थानान्त्रण में कभी भी उनके द्वारा इन भत्तो का **भुगतान प्राप्त नही किया है** मात्र मेरे द्वारा उपर्युक्त देयको के संबंध मे आवेदन किया गया था व प्राप्त किया गया था।

नगीना से लखनऊ स्थानान्तरण के उपरांत मेरे पति नरेन्द्र पाल राणा द्वारा मात्र डिस्ट्रबेन्स अलाउंस **नियमानुसार** दिलाये जाने हेतु आवेदन किया गया था। यह आवेदन प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (शेट्टी कमीशन) की अनुशंसा एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट याचिका सं १०२२/ १९८९आल इन्डिया जजेज एसोसिएशन तथा अन्य बनाम यूनियन आफ़ इन्डिया तथा अन्य मे पारित आदेश दिनांक २१.०३.२००२ व ०६.१२.२००५ के अनुपालन मे पारित शासनादेश सं. ६०५८/दो–४–५–४५(१२)/९१ टी.सी. नियुक्ति अनुभाग–४ दिनाक २७ जनवरी २००६ के अनुरूप किया गया था। इस शासनादेश के उपरांत रिट याचिका सं १०२२/ १९८९आल इन्डिया जजेज एसोसिएशन तथा अन्य बनाम यूनियन आफ़ इन्डिया तथा अन्य मे सम्बद्ध आई. ए. सं. २४४/०९ मे १९.०७.२०१० को पारित आदेश के अनुपालन मे पदमनाभन समिति गठित की गयी थी। पदमनाभन समिति की अनुशंसा के अनुरुप पत्र सं. २१२३(२)/दो –४–२०१०–४५(१२)/९१ टी. सी. नियुक्ति अनुभाग–४ दिनाक १६ अक्टूबर २०१० शासन द्वारा जारी किया गया और इस सुविधा को जारी रखा गया है। डिस्ट्रबेन्स अलाउंस दिये जाने की सुविधा **प्रत्येक न्यायिक अधिकारी** को दिये जाने का प्रावधान इन शासनादेश मे किया गया है। ये शासनादेश पूर्व के सभी आदेशो को अतिक्रमित करते हुए जारी किये गये है। इन दोनो शासनादेश मे कही पर भी यह उल्लिखित नही है कि पति पत्नी दोनो के न्यायिक अधिकारी होने पर एक को ही डिस्ट्रबेन्स अलाउंस का भुगतान किया जायेगा, चूंकि न्यायिक अधिकारी होने के कारण स्थानान्त्रण के फ़लस्वरुप उनके द्वारा आवेदन किया गया था तथा इन शासनादेश के अनुरुप सिविल जज जू. डि. के पद के मात्र एक माह के मूल वेतन के बराबर सिर्फ़ एक बार डिस्ट्रबेन्स अलाउंस भुगतान प्रदान किया गया है। अन्य किसी स्थानान्त्रण भत्ते का भुगतान कभी उन्होने प्राप्त नही किया है।

सादर।

(मनीषा)
अपर जिला जज, कक्ष स–३,
झांसी।

Digitally signed by Sant Lal Sharma
Date: 2019.11.07 14:09:51 IST
Reason: A.R.(ADMIN-H)
Location: High Court, Allahabad